झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

–:संकल्पः–

पत्रांक–5 / न0वि0 / जला–01 / 2015

विषयः–जलापूर्त्ति योजना में **House to House Connection, जल संयोजन शुल्क** के संबंध में।

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार शहरी निकाय के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शहरी स्थानीय निकाय का दायित्व है।

2. पूर्व में राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत जलापूर्त्ति योजनाओं के प्राक्कलन में गृह जल संयोजन (House to House Connection) की राशि का प्रावधान नहीं किया जाता था, बल्कि सभी शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क जमा करने के पश्चात् जल संयोजन (Water Connection) लेने की व्यवस्था थी।

3. जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन (JnNURM) अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्राक्कलन में House to House Connection की राशि का प्रावधान किया जाता रहा है। JnNURM की भाँति राज्य योजनान्तर्गत संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं में House to House Connection का समावेश किये जाने एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क माफ करने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

4. सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि,

(i) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House Hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में – 4,000 रूपये – (One time) Charge के रूप में जमा करना होगा। APL से वसूली गई राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा।

(iii) APL/BPL द्वारा जलदर जमा करना होगा जो त्रैमासिक होगा तथा इस राशि को संबंधित नगर निकाय अपने म्युनिशिपल एकाउंट में जमा करेंगे जिसे वे जलापूर्त्ति योजना के रख–रखाव (O & M) पर व्यय करेंगे।

गरीब परिवारों को भी जल संयोजन हेतु निकाय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा निकाय द्वारा निर्धारित जलदर का भुगतान करना पड़ेगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—...../ राँची, दिनांकः—.....

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/महालेखाकार, (अंकेक्षण), राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची/माननीय मंत्री नगर विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी नगर आयुक्त/सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी विशेष पदाधिकारी/नगर परिषद्/नगर पंचायत/नगरपालिका/अ०क्षे०स०, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।